कमला देवी बनाम् गैनकवर वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र 251क –संख्या 10/2023
जीसीएमएस नंबर 2023/186

–::आदेश::–

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 338/250 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–कुसिया तहसील–जायल के खसरा नं. 244/316 व 244 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2024 के अनुसार डोटेट मार्क ए–बी के अनुसार कुल 1073 वर्गमीटर यानि 0.1073 हैक्टेयर व 13 फीट चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2024 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम कुसिया के खेत खसरा नंबर 338/250 तहसील–जायल के खसरा नं. 244/316 , 244 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थीया कमला देवी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 14 बृजकंवरी को (244/316 नंबर खसरे से प्रभावित भूमि) एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 13 को (खसरा नंबर 244 से प्रभावित भूमि) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे तथा प्रस्तावित रास्ते में किये गये पक्के अतिक्रमण को धवस्त करने के बदले अतिरिक्त प्रतिकर राशि 10000/– का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/01/25 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर
(उ.अ.) जायल

Scanned with CamScanner